न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2023-151RAABarmer2023-64RTA223 Amararam Vs Thakararam etc

अमराराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी खुडासा तहसील व जिला बाडमेर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. ठाकराराम पुत्र हेमाराम
2. जमना पत्नि हेमाराम
3. जैसाराम पुत्र पैलादराम
4. राजूराम पुत्र पैलादराम
5. मंगनाराम पुत्र पैलादराम
6. नारणाराम पुत्र पैलादराम
   जाति जाट निवासी खुडासा तहसील व जिला बाडमेर।
7. तहसीलदार, बाडमेर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 अप्रैल 2023 सहायक कलक्टर बाड़मेर राजस्व मूल वाद संख्या 29/2020 ठाकराराम बनाम अमराराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री कुम्भाराम चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री मनोज पारीक, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से छः

नि र्ण य

दिनांक : 11 फरवरी 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 29/2020 अनवान ठाकराराम बनाम अमराराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 अप्रैल 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 20 जून 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से छः/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 व 188 के तहत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादीगण व प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि खसरा नम्बर 42 रकबा 46.02 बीघा, खसरा नम्बर 46 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 47 रकबा 88.16 बीघा कुल रकबा 135.12 बीघा मौजा खुडासा पटवार क्षेत्र खुडासा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर मे आयी हुई है, जिसमें वादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

संख्या 2 से 6 प्रत्येक का 1/10–1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा खातेदारी का है तथा इसी अनुसार मौके पर बाहामी रूप से बंटवाडा किया हुआ है तथा मौके पर काबिज है तथा वादी मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार घोषणा करवाकर बंटवाडा करवाने की इस्तदुआ चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर अपीलान्ट/प्रतिवादीगण के नाम से सम्मन जारी किये गयें, जिस पर अपीलान्ट के सम्मन तामील होने पर अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति दी तथा वादी के वाद का पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुऐ वादी व प्रतिवादीगण के मौके पर कब्जा काश्त, भूमि की गुणपता व उपजाऊपन के हिसाब से प्रत्येक खसरे में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा रखते हुऐ बाई मीटस एण्ड बाउण्ड विभाजन करने हेतु प्रतिवादी पेश किया। दिनांक 23.08.2022 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद व प्रतिदावा को स्वीकार करते हुऐ प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार बाडमेर से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 12 अप्रैल 2023 को अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा निर्धारित किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किये बिना अपनी मनमर्जी से अपीलाधीन अंतिम निर्णय पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर संबंधित आर. आई व हल्का पटवारी को विभाजन प्रस्ताव हेतु नियुक्त किया गया तथा आर. आई व हल्का पटवारी ने पूर्व में कोई तारीख निश्चित किये बिना ही तथा बिना किसी प्रकार का नोटिस दिये ही उतरदाता संख्या 1 से 6 के दबाव में रहते हुऐ अपीलान्ट की बिना जानकारी. व बिना सूचना के ही विभाजन प्रस्ताव दिनांक 07.12.2022 मौके की स्थिति के विपरित तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के मौके पर स्थित कब्जे के विपरीत तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट सहित किसी सेढा पडौसी या मौतबिरान के हस्ताक्षर तक नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर अपीलान्ट की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति लिये बिना ही नियम विरूद्ध तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी की गई है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार नहीं किया गया है तथा अपीलान्ट का मौके पर स्थित आलामात कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव में नहीं दर्शाया गया है, जिस कारण अपीलान्ट की ढाणी, चाराबाडे व पानी के टांके आदि उत्तरदाता के हिस्से में चले गये है, जिससे साबित है कि उतरदातागण ने हल्का पटवारी व आर आई पर दबाव बनाकर मनगढत तरीके से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया गया है जो विभाजन प्रस्ताव निष्पक्ष नहीं होने से उस पर विश्वास किया जाना सम्भव नहीं है। अपीलान्ट द्वारा अपने जवाबदावा में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि में कुछ भूमि धोरे वाली जमीन है

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तथा कुछ भूमि उपजाऊ व समतल भूमि है। इस कारण पक्षकारान को प्रत्येक खसरे में उसके हिस्से अनुसार भूमि रखते हुये विभाजन किया जावें, परन्तु विभाजन प्रस्ताव में उतरदाता संख्या 1 से 6 ने उपजाऊ व समतल भूमि अपने हिस्से में रखते हुऐ अपीलान्ट के हिस्से में धोरे वाली भूमि रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है तथा भूमि की गुणवता का किसी प्रकार से ध्यान नहीं रखा गया है। जिस कारण विभाजन प्रस्ताव अस्वीकार किये जाने योग्य है। विभाजन प्रस्ताव में अपीलान्ट व उतरदातागण के मध्य पूर्व में आपसी सहमति से किये गये बाहामी बंटवाडे को नजर अन्दाज करते हुऐ राजस्व कर्मचारियों ने उतरदातागण के साथ मिलीभगत करते हुऐ मौके पर गये बिना ही राजस्व कर्मचारियों ने अपने कार्यालय में बैठकर उतरदातागण के दबाव में रहते हुऐ उसके कहे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया, जिस सबंध में अपीलान्ट को कोई सूचना व नोटिस नहीं दिया गया तथा विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर या अगुश्ठ निशान भी नहीं है, मात्र उतरदातागण के चहेते व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये है, जिससे भी साबित है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर गये बिना ही हल्का पटवारी ने उतरदाता के दबाव में रहते हुऐ तैयार करवाया गया है, जो विभाजन प्रस्ताव निष्पक्ष नहीं होकर एकपक्षीय व पक्षपात पूर्ण तरीके से तैयार करवाया गया है जो कतई मानने कोई नहीं है तथा उक्त एकपक्षीय रूप से तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री व निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से उसे अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। उतरदातागण द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदी करवाकर अपीलान्ट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर मौके पर अपीलान्ट के कब्जे काश्त की भूमि में काबिज होने का प्रयास करने लगे, जिस पर अपीलांट ने मना किया तो उतरदातागण ने धमकी दी कि हमने कोर्ट से फैसला करवा लिया है तथा आपके कब्जे वाली भूमि हमारे हिस्से में आई हुई है, इसलिये आपको बेदखल कर देगें, जिस पर अपीलान्ट को अपने हक हकुक संशयप्रद लगे तो अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल दिनांक 19.06.2023 को प्राप्त की गई। तब अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा जानकारी से यह अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। फिर भी सद्भाविक रूप से हुऐ विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायोचित है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 29/2020 में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 12.04.2023 को निरस्त फरमाया जाकर पत्रावली इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जावें कि वादग्रस्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव पुनः तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण स्वयं द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

मौके पर जाकर उभय पक्षकारान को पूर्व सूचना देकर पक्षकारान के रूबरू मौके पर तैयार करवाया जाकर, विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान से आपत्तियां लेने के बाद प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णित करने का आदेश फरमावें।

जवाब में रेस्पो. के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी/वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद में अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक रूप से तामील करवायी गई तथा उसे जवाब प्रस्तुत का समुचित अवसर प्रदान किया गया तथा विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान् की सहमति से निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट को नोटिस जारी किया गया तथा उस पर सम्यक रूप से तामील करवायी गई है। तहसीलदार द्वारा विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित किया गया। यह उल्लेखनीय है कि तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त पुरानी ढाणियों एवं कब्जे काश्त को ध्यान में रखा गया है। अपीलांट अमराराम द्वारा स्वयं अपने बयानों में स्वीकार किया गया है कि खसरा नंबर 42 में प्रहलाद का कब्जा है, उसकी ढाणीया बनी हुई है। मै खसरा नंबर 47 में निवास करता हूँ। विचारण न्यायालय को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद कई पेशीयॉ बहस हेतु मुकर्रर की गई थी, किंतु अपीलांट की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की कोई आपत्तियॉ प्रस्तुत नहीं की गई। विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। अपीलांट द्वारा बावजूद जानकारी हस्तगत अपील विलंब से पेश की गई है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के तकनीकी बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 07.12.2022 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व पक्षकारान् को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक पीडी/2022/1170, 1171, 1172 दिनांक 01.12.20222 जारी किये गये, जिसकी ताईद विभाजन प्रस्ताव में इस आशय के अंकन से होती है। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से प्रक होता है कि वक्त विभाजन प्रस्ताव तैयारी वह मौके पर हाजिर रहा है तथा हस्ताक्षर करने से इंकार किया है। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण ने स्वयं मौके पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जाकर उभय पक्ष को सम्यक रूप से सूचित कर उनकी(वादीगण एवं प्रतिवादी) उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है तथा सभी पक्षकारान् को मौके पर मौजूद धोरे की भूमि समानुपात में प्रदान की गई है तथा मौके पर पक्षकारान् की बनी ढाणियों के अनुसार भूमि उनके हिस्से में रखी गई है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव विचारण न्यायालय को दिनांक 24.02.2023 को प्राप्त होने के पश्चात विचारण न्यायालय के समक्ष किसी भी पक्षकार की ओर से आपत्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाये जाते है।

अपीलांट का उज्र है कि तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा उसे विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व सूचित नहीं किया गया तथा न ही विचारण न्यायालय द्वारा उसे विभाजन प्रस्ताव पर सुना है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से साबित है कि तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व पक्षकारान् को नोटिस जारी किये गये है। अपीलांट की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत वाद एवं प्रतिवादी स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि सम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 29/2020 अनवान ठाकराराम बनाम अमराराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 अप्रैल 2023 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर